न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 07 / 2022

जीसीएमएस : 2022 / 294

1. सुरेश कुमार पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 27 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –अपीलान्ट

बनाम

1. खेतपाल वल्द कृष्णलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. कृष्णादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंनहगर जिला श्रीगंगागनर राज.।
3. सरोज पुत्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. सिमला पुत्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायसिंहनगर ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

रजू दिनांक 18.05.2022

उपस्थिति :–

1.श्री हरपालसिंह ,अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री मोहनलाल बाना, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4।

–: निर्णय :– दिनांक : 25.04.2025

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 87 एलआरए सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम, प्रा. पत्र धारा 96 सीपीसी, प्राथ्रना पत्र आ. 41 नि. 27 व धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र 81 एलआरए प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके चक ठाकरी बी के मुरब्बा नं. 17 (222 / 297) के कि.नं. 9 की .253 है. एवं 12 की 0.127 है. (उतरी पासा) कुल 0.380 है. बारानी भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा अपीलार्थी द्वारा मनफूल वल्द अमरू जाति जाट साकिन ठाकरी से दिनांक 25.07.2003 को खरीद की गई। उस वक्त विक्रय जो भूमि एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा रायसिंहनगर के पास बिला कब्जा रहन होने के कारण खरीद का इंतकाल अपीलर्थी के पक्ष में नहीं हो सका। इसके पश्चात विक्रेता की मृत्यु हो गइ। जिसकी मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत ठाकरी द्वारा दिनांक 20.04.2010 को संपूर्ण भूमि मुरब्बा नं. 17 (222 / 297) की 3.668 है. एवं 24 (222 / 298) की 1.265 है. कुल 4.933 है. का विरास्तन इंतकाल संख्या 137 मृतक मनफूल के वारिसान बेगादेवी पत्नी के पक्ष में 1 / 2 हिस्सा एवं पूर्व मृत पुत्र कृष्णलाल के वारिसान यानि विकेता की पुत्रवधु कृष्णादेवी एवं पौत्र रणजीत व खेतपाल एवं पोत्रिया सिमला व सरोज पांचों के पक्ष में 1 / 2 हिस्सा तस्दीक कर दिया। इसके बाद दिनांक 26.05.2010 को बैंक रहन फक्क का इंतकाल तस्दीक हुआ। जिसके बाद बेगा देवी की मृत्यु हो गई और बेगा देवी का विरास्तन इंतकाल भी उक्त पांचों के नाम हो गया। इसके [illegible] अपना सम्पूर्ण हक जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी खेतपाल के हक में [illegible] इंतकाल करवा दिया। इस प्रकार जमाबदी में कुल भूमि का 1/5–1/5 हिस्सा प्रत्य[illegible] ता 4 के नाम एवं 2 / 5 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम है जबकि प्[illegible]ण को उनके ससुर / दादा द्वारा विकीत भूमि का विरास्तन इंतकाल करवाने का कोई हक नहीं था। इस प्रकार अपीलर्थी ग्राम पंचायत ठाकरी के इंतकाल संख्या 137 [illegible]नांक 20.04.2010 ग्राम ठाकरी बी के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत कर रहा है अपील अपीलर्थी निम्न आधारों

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:50 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

पर प्रस्तुत है। कि अधिनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत ठाकरी) का निर्णय विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सर्वथा विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णत पारित करते समय अपीलर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि वादग्रस्त रकबा पर कब्जा काश्त अपीलर्थी का है एवं विवादित इंतकाल को सुनने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार खरीदशुद्वा रकबा का इंतकाल अपीलर्थी के हक में किया जाकर शेष रकबा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 का 1/5–1/5 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा दर्ज रखा जाना न्यायाहित में अत्यंत आवश्यक है अन्यथा अपीलर्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। ग्राम पंचायत द्वारा विरारत्तन इंतकाल बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। वल्कि केवल मात्र सरपंच द्वारा इंतकाल तस्दीक किया गया है इस प्रकार अकेले सरपंच को विरासतन इन्तकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलर्थी दिनांक 10.04.2022 को खरीद भूमि का इंतकाल करवाने के लिए पटवारी से मिला तो पटवारी ने कहा कि विरासतन इंतकाल हो चुका है इसलिए खरीद का इंतकाल नहीं हो सकता। जबकि विरासतन इंतकाल होने के बाद खरीद इंतकाल में कोई विधिक अड़चन नहीं है। इस प्रकार दिनांक 20.04.2022 से पूर्व अपीलर्थी को विरासतन इंतकाल का कोई ज्ञान नहीं था तथा करोना काल भी था। अपील समय विस्तार के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 87 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम आवेदन अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। अपील उचित न्याय शुल्क 2 रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील अपीलर्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलर्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय ग्राम पंचायत ठाकरी द्वारा इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 20.04.2010 ग्राम ठाकरी बी में पारित तथाकथित प्रस्ताव व इन्तकाल को अपास्त करते हुए ग्राम ठाकरी बी के मुरब्बा नं. 17(222/297) के कि.नं. 9 की 0.253 है0. एवं 12 की 0.127 है. (उतरी पासा) कुल 0.380 है. बारानी भूमि बैयनामा इन्तकाल अपीलर्थी के पक्ष में किए जाने के आदेश पारित किए जाने की कृपा की जावे।

02. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 4 ओर से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता उपस्थित आए। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड कार्यवाही विवरण रजिस्टर तलब किया गया।

03. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट अपनी बहस में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत ठाकरी का निरस्त करते हुए इन्तकाल सं. 137 दिनांक 20.04.2010 अपास्त करने हेतु निवेदन किया हैं। वादग्रस्त रकबा पर कब्जा अपीलार्थी का है इसलिए विवादित भूमि का इन्तकाल को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही होकर तहसीलदार रायसिंहनगर को था। विक्रय की गई भूमि पर विक्रेता का पंजीबंद्व दिनांक से ही अधिकार शून्य है इसलिए उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं होना चाहिए था अपील धारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत विहित परिसीमा काल के पश्चात ग्रहण की जाती है अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 मियाद अधि. मय शपथ पत्र पेश कर जो कथन अंकित किये है उनकों दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील एवं प्राथना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीका[illegible]लय ग्राम पंचायत ठाकरी के अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या [illegible] दि[illegible] 20.04.2010 को निरस्त किया जाता है तहसीलदार राय[illegible] निर्देशित [illegible] जाता है कि वाके चक ठाकरी बी के मु.नं. 17 के कि.[illegible] 0.25[illegible] है [illegible] कि.न. 12 की 0.127 है. भूमि कुल 0.380 है. भूमि केता सुरेशकुमार पुत्र नागरमल के नाम बैयनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

दिनांक 25.07.2003 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे। उक्त प्रकरण में दिनांक 18.05.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:50 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner